



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/10/2016/एफ.सी.

1545

दिनांक: 9-3-2017

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/10923/2015)

**विषय:** विश्व बैंक पोषित बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस0एच0-51) के चौड़ीकरण हेतु (1) संभल में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

**सन्दर्भ:** मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ.प्र. का पत्रांक- 1516/बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग, दिनांक- 18.01.17

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-162/14-2-2016-800(148)/2015, दिनांक-21.01.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

विषयांकित प्रकरण को दिनांक- 05.01.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। उक्त बैठक में प्रकरण में चर्चा उपरान्त प्रकरण को स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था जो नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।


अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति द्वारा प्रकरण में स्वीकृति उपरान्त केन्द्र सरकार विश्व बैंक पोषित बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस0एच0-51) के चौड़ीकरण हेतु (1) संभल में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (63.2x2= 126.40 ha.) अर्थात् 126.60 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

9/3/17

- (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
  - प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
  - राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,  
  
 9/3/17  
 (बृजेन्द्र स्वरूप)  
 वन संरक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

- अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
- प्रभागीय वनाधिकारी, संभल वृत्त, संभल, उ0 प्र0।
- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वृत्त, अमरोहा, उ0 प्र0।
- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
- श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश प्रत्रावली

  
 9/3/17  
 (बृजेन्द्र स्वरूप)  
 वन संरक्षक {केन्द्रीय}